न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी सं. – 20/2021 (2021/48)

प्रार्थी

झूमरराम पुत्र मालाराम उर्फ मलूराम, जाति दर्जी, निवासी ग्राम सोमेसर, पंचायत समिति शेरगढ़ तहसील शेरगढ़, जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. माधूदान पुत्र वेणीदान, जाति चारण, निवासी ग्राम सोमेसर, पंचायत समिति शेरगढ़ तहसील शेरगढ़, जिला जोधपुर।
2. सरपंच ग्राम पंचायत सोमेसर पंचायत समिति शेरगढ़ जिला जोधपुर।
3. ग्राम सेवक पदेन सचिव ग्राम पंचायत सोमेसर पंचायत समिति शेरगढ़ जिला जोधपुर।
4. विकास अधिकारी पंचायत समिति शेरगढ़ जिला जोधपुर।
5. उप पंजीयक शेरगढ़ तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर।

निगरानी अन्तर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध आदेश दिनांक 28.12.2010 पट्टा संख्या 22 मिसल संख्या 143 ग्राम पंचायत सोमेसर द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 को जारी किया गया।

– – –

उपस्थिति :–

1. अधिवक्ता श्री नाहरसिंह सोलंकी व पुष्पेन्द्र सिंह (प्रार्थी)।
2. अप्रार्थी संख्या 1 से 5 नोटिस तामिल बावजूद अनुपस्थित।

–आदेश – दिनांक : **09.11.2022**

प्रार्थी ने यह पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 आदेश दिनांक 28.12.2010 पट्टा संख्या 22 मिसल संख्या 143 ग्राम पंचायत सोमेसर द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 को जारी किया गया, को निरस्त करवाने हेतु पेश की है। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि सरपंच ग्राम पचांयत सोमेसर द्वारा प्रार्थी की पुश्तैनी आबादी भूमि जिस पर मकान बना हुआ है एवं प्रार्थी परिवार सहित निवास कर रहा है फिर भी उसी भूमि का आबादी का पट्टा तत्कालीन सरपंच आवड़दान द्वारा अप्रार्थी

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:24:17 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 01 के नाम जारी किया गया, जिससे व्यथित होकर यह पंचायत निगरानी प्रस्तुत की है।

पंचायत निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 01 से 05 नोटिस तामिल बावजूद अनुपस्थित। प्रकरण से संबंधित मूल रिकॉर्ड ग्राम पंचायत सोमेसर से तलब किया गया। ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत सोमेसर ने अपने पत्र क्रमांक ग्रा.प.सों./2021–22/37 दिनांक 16.08.2021 के द्वारा अवगत कराया कि न्यायालय द्वारा चाहा गया मूल अभिलेख पट्टा संख्या 22 दिनांक 28.12.2010 मिसल संख्या 143 ग्राम पंचायत के कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस दिनांक 19.10.2022 को सुनी जाकर पत्रावली आदेश हेतु रखी गई।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बतलाया कि सरपंच ग्राम पचांयत सोमेसर द्वारा प्रार्थी की पुश्तैनी आबादी भूमि जिस पर प्रार्थी का मकान बना हुआ है एवं प्रार्थी परिवार सहित निवास कर रहा है, उसी भूमि का आबादी का पट्टा तत्कालीन सरपंच आवड़दान द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 को जारी किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 का उक्त भूमि पर कभी भी कब्जा नहीं रहा और ना ही वर्तमान में कब्जा है। ग्राम पंचायत द्वारा जो पट्टा विलेख जारी किया गया जिसका मूल अभिलेख पंचायत में उपलब्ध नहीं है, जिसकी जांच विकास अधिकारी शेरगढ़ द्वारा की गई तथा तत्कालीन सरंपच द्वारा जारी किये गये पट्टे फर्जी पाये गये जिसमें निगरानीधीन पट्टा भी शामिल है। ऐसी स्थिति में निगरानीधीन पट्टा निरस्त योग्य है।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने बहस में आगे बतलाया कि ग्राम पंचायत ने कब्जे की जांच किये बिना अप्रार्थी संख्या 01 के नाम आबादी का पट्टा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के नियम, 1996 के नियम 157 (1) के तहत जारी कर दिया जो पूर्ण रूप से विधि विरूद्ध है। सरपंच ने जानबूझकर गलत व फर्जी पट्टा जारी किया है जो निरस्त योग्य है।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने निरन्तर बहस में बतलाया कि अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा विवादग्रस्त भूमि का पट्टा प्राप्त करने हेतु विधिवत कोई प्रार्थना पत्र पेश ही नहीं किया गया ना ही आवेदन के साथ स्थल निरीक्षण का नक्शा संलग्न किया गया ना ही सचिव द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 की उपस्थिति में स्थल निरीक्षण कर स्थल नक्शा तैयार किया गया ना ही निर्धारित प्ररूप में रजिस्टर तैयार किया गया न ही समिति की बैठक में रखा गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:24:17 IST
Reason: SelfAttested

ना ही समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया एंव ना ही ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत कोई पत्रावली संधारित की गयी। उक्त पट्टा जारी करने से पूर्व विधिनुसार किसी प्रकार का नोटिस चस्पा नहीं किया गया ना ही आक्षेप आमंत्रित किये गये ना ही प्रकाशित किये गये ना ही नोटिस की प्रति उक्त जायदाद पर लगायी गयी इस कारण पट्टा खारिज किया जाना न्यायोचित है।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने बहस में आगे बतलाया कि सरपंच ने पंचायती राज नियमों की पालना किये बिना पट्टा विलेख जारी किया है उक्त पट्टा पूर्ण रूप से छल, भ्रष्टाचार तथा अवैधानिक तरीके से जारी किया गया है यही नहीं उक्त पट्टा प्राप्ति हेतु पालना किये जाने वाले नियमों के विरोधकारी है। साथ ही इस बारे में कुछ भी खुलासा नहीं किया गया कि अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा कितना पुराना तथा किस आधार पर संभाव्य था ? पुराने कब्जे को दर्शित करने के लिए कुछ भी साक्ष्य नहीं लिया गया ना ही अप्रार्थी संख्या 1 ने कोई आवेदन कर निवेदन किया कि प्रश्नगत भूमि पर बने हुए पुराने मकान उनके कब्जे का है। ना ही कब्जे की अवधि का खुलासा किया गया। सरपंच ने आपत्तियां आमंत्रित किये बिना एवं मौका निरीक्षण किये बिना पट्टा जारी किया जो विधिविरूद्व है। सरपंच ग्राम पंचायत सोमेसर द्वारा जारी पट्टा राजस्थान पंचायतीराज नियम की पालना व कार्यवाही किये बिना जारी किया गया है। आम सूचना का नोटिस पंचायत कार्यालय पर चस्पा नहीं किया गया। पंचायत द्वारा आबादी भूमि का इंद्राज अचल सम्पत्ति रजिस्टर में नहीं किया गया एवं मिसलें कायम कर मनमर्जी अनुसार पट्टे जारी किये गये जिस बाबत पूर्व में भी न्यायालय द्वारा कई पट्टों को खारिज किया गया है। अतः अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा विलेख विधि विरूद्व होने से निरस्त योग्य है।

प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस के अन्त में बतलाया कि अप्रार्थी संख्या 01 के नाम से जारी पट्टे में पड़ौस भी गलत दर्शाये गए है एवं उसका कुल नाप भी खाली छोड़ा गया है जबकि प्रार्थी झूमरराम वगैरा का उक्त स्थान पर पुश्तैनी समय से मकान व बाड़ा बना हुआ है ऐसी स्थिति में अप्रार्थी संख्या 01 को जारी निगरानीधीन पट्टा निरस्त योग्य होने से निरस्त फरमावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। प्रथमतः जिस भूमि का पट्टा अप्रार्थी संख्या 01 को जारी किया गया है उस पर प्रार्थी का पुश्तैनी मकान व बाड़ा बना हुआ है। अतः अप्रार्थी संख्या 01 का कब्जा नहीं होते हुए भी ग्राम पंचायत सोमेसर द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 को पट्टा जारी किया गया जो न्यायोचित

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:24:17 IST
Reason: SelfAttested

नहीं है। द्वितीयत ग्राम पंचायत सोमेसर द्वारा सरपंच आवड़दान के कार्यकाल में जारी किये गए पट्टो की निगरानियां पूर्व में न्यायालय में पेश की गई जिसमें कई अनियमितताएं पाई गई तथा न्यायालय द्वारा पट्टा विलेखों को निरस्त किया गया। अपीलाधीन पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत जारी किया गया। नियम 158 के अनुसार – राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के कमजोर वर्गों के परिवारों को पंचायत 300 वर्गगज तक की भूमि रियायती दरों (2 रूपयें से 10 रूपये) के आधार पर आवंटित किये जा सकेंगे। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे से संबंधित किसी प्रकार का कोई अभिलेख न्यायालय में पेश नहीं किया गया जिससे यह साबित होता हो कि अप्रार्थी संख्या 01 कमजोर वर्ग से संबंधित है तथा अप्रार्थी संख्या 01 नोटिस तामिल होने के बावजूद न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। अतः प्रथम दृष्टया मौके पर अप्रार्थी संख्या 01 का किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं होने से निगरानाधीन पट्टा विधि विरूद्ध है। परिणामस्वरूप प्रार्थी की पंचायत निगरानी स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत सोमेसर द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 माधुदान पुत्र वेणीदान, निवासी ग्राम सोमेसर को जारी पट्टा विलेख संख्या 22 मिसल संख्या 143 दिनांक 28.12.2010 को निरस्त किया जाता है। आदेश की प्रति ग्राम पंचायत को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

आदेश आज दिनांक 09.11.2022 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:24:17 IST
Reason: SelfAttested